फा.सं.711/07/2003-सी.शु.(त.रो.)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
(तस्करी रोधी एकक)
***

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2017

सेवा में
सीमाशुल्क/सीमाशुल्क निवारक के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त
सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त
सीबीईसी के सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक
सीमाशुल्क/सीमाशुल्क निवारक के सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त
सीमाशुल्क के सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त (अपील)
सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क के सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त
सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क के सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त (अपील)
वेबमास्टर, सीबीईसी

विषय: सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकिंग एवं लेबेलिंग) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के समक्ष पकड़े/जब्त किए गए विदेशी उत्पत्ति के सिगरेटों का निस्तारण

महोदया/महोदय

मुझे उपरोक्त विषय पर दिनांक 10 फरवरी, 2010 के बोर्ड के समसंख्यक अनुदेश का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है। जब्त की गई/कुर्क की गई सिगरेटों के निपटान के मामले की इस सुझाव को देखते हुए नए सिरे से बोर्ड द्वारा जांच कर ली गई है कि उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र तथा मामले पर परवर्ती सांविधिक उपबंधों में बताई गई जरूरतों का अनुपालन करने में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं।

2. सभी तम्बाकू उत्पादों (चाहे घरेलू विनिर्मित तथा बेचे गए हों अथवा आयातित हों) को सिगरेट तथा दूसरे तम्बाकू उत्पादों [(व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण के विज्ञापन तथा विनियमन का निषेध) अधिनियम, 2003 (सीओटीपी 2003)] तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में निहित जरूरतों का अनुपालन करना अपेक्षित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना साकानि 727(अ) द्वारा सिगरेट तथा दूसरे तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लेबलिंग) संशोधन (सीओटीपी) नियमावली, 2014 अधिसूचित की, जो 01 अप्रैल, 2016 से प्रभाव में आई [सा.का.नि. 739 (अ) दिनांक 24 सितंबर, 2015]। सीओटीपी नियमावली प्रकृति में कठोर है तथा उनके अनुपालन में जरूरत होती है कि सिगरेट के पैकेटों पर तस्वीर की छपाई तथा मूल पाठ विषयक चेतावनी विनिर्दिष्ट प्रारूप, रंग, संकल्प, फोंट तथा भाषा में हो।

3. विधायी माप पद्धति अधिनियम, 2009 तथा विधायी माप पद्धति (पैकेज्ड आवश्यक वस्तु) नियमावली, 2011 पैकेज्ड आवश्यक वस्तुओं पर लागू है जिसमें सिगरेट शामिल हैं। चूंकि आयातित सिगरेट पैक्स खुदरा बिक्री के लिए बनाए गए हैं, अत: वे विधायी माप पद्धति (पैकेज्ड आवश्यक वस्तु) नियमावली, 2011 के अंतर्गत आते हैं जिन्हें विनिर्माता, आयातक अथवा पैक करने वाले का नाम तथा पता, उत्पाद की मात्रा, विनिर्माण करने, प्री- पैकिंग अथवा आयात करने का माह तथा वर्ष, खुदरा बिक्री मूल्य आदि रखने वाले पैकेटों संबंधी एक घोषणा अपेक्षित होती है। उक्त अधिनियम तथा नियमावली के संदर्भ में किसी प्री-पैकेज्ड आवश्यक वस्तु की बिक्री के लिए विनिर्माण करना, पैक करना, बेचना, आयात करना, वितरण करना, आपूर्ति करना, प्रस्तुत करना, प्रदर्शित करना, अधिग्रहण करना अवैध है जब तक कि पैकेज ऐसी मानक मात्राओं अथवा संख्या में हों और उन पर ऐसी घोषणाएं तथा ऐसी ही पद्धति में ब्यौरे होती हों जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है।

4. आईपीआर (आयातित सामग्री) प्रवर्तन नियमावली 2007 का नियम 11(1) यह प्रावधान करता है कि जहां कहीं पकड़ी गयी अथवा जब्त की गई सामग्री के कारण बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का हनन होता हो और उनकी जब्ती सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111(घ) के अंतर्गत की गई हो और ऐसे निर्धारण के संबंध में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई लंबित न हो, तो उप/सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क जैसा भी मामला हो, अपने आधिकारिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत उस सामग्री को नष्ट करएंगे अथवा अधिकार धारक और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहमति से 'अनापत्ति' प्राप्त करने के बाद व्यावसाय की सामान्य धारा के बाहर उसका निपटारा करेंगे।

5. उपर्युक्त के मद्देनजर, क्षेत्रीय कार्यालय गैर कानूनी रूप से आयातित ऐसी सिगरेटों जिनकी जब्ती की गई है का निपटारा करते समय निम्नलिखित मार्ग निर्देशों का पालन करेंगे,

i. अन्य बातों के साथ-साथ सिगरेट के पैकट पर पैकिंग के कुल क्षेत्र के 85 प्रतिशत पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी; 60 प्रतिशत पर तस्वीर के रूप में चेतावनी और 25 प्रतिशत पर शब्दों के रूप में स्वास्थ्य चेतावनी होगी; चेतावनी के स्थान पर पैकेज पर इस्तेमाल की गई भाषा; सिगरेट के प्रत्येक पैकेज पर उत्पाद का नाम; विनिर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा पैकिंग करने वाले का नाम तथा पता; उत्पादन का मूल स्थान (आयात हेतु) उत्पाद की मात्रा तथा विनिर्माण की तारीख होगी [सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषिद्धिकरण तथा व्य वसाय और वाणिज्य, उत्पाद आपूर्ति तथा संवितरण विनियमन अधिनियम, **2003** (सीओटीपीए **2003**) तथा अन्य नियमों का संदर्भ लिया जाए]

ii. सिगरेट की पैकिंग पर विनिर्माता अथवा पैकिंग करने वाले अथवा आयातकर्ता का नाम तथा पता और सामग्री के विनिर्माण अथवा प्री-पैकिंग अथवा आयात का माह तथा वर्ष होगा। [लीगल मेट्रोलोजी (पैकेज्ड आवश्यक वस्तुओं) नियमावली, **2011** का संदर्भ]

5.1 ऐसी सिगरेटों का निपटान एनसीसीएफ/केन्द्रीय भंडार तथा अन्य उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के द्वारा बिक्री से अथवा ई-नीलामी के माध्यम से किया जाए (परिपत्र संख्या **39/2016-** सीमाशुल्क दिनांक **26.8.2016** का संदर्भ)।

6. सिगरेट के ऐसे पैकेट जो उपर्युक्त की गई चर्चा के अनुसार कानूनों के उपबंधों का पालन नहीं करते उन्हें घरेलू बाजार में उपभोग हेतु नहीं दिया जाए अथवा उन्हें नष्ट कर दिया जाए। उनका इस प्रकार से नष्ट किया जाना उस समय प्रवृत्त प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का अनुपालन करते हुए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से किया जाए।

7. नकली सामग्री के संबंध में प्रत्येक जब्ती जिसे गैर-कानूनी रूप से विनिर्मित पाया जाता है कि जांच की जाए और उसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार नियमावली, **2007** (आईपीआर नियमावली) के नियम **11** जो अधिकार धारक का दायित्व है, कि शर्तों के अनुसार नष्ट किया जाए। ऐसे मामलों जिनमें नकली सामग्री पर रोक लगाई जाती है, सीमाशुल्क नियम उपभोग हेतु उसे बाजार में देने की मंजूरी नहीं देते।

8. मुख्य आयुक्त एवं महानिदेशकों से अनुरोध है कि मौजूदा दिशानिर्देशों को अपने प्रभार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिचालित करें। उपर्युक्त मार्ग-निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयां, यदि कोई हों, बोर्ड के ध्यान में लायी जाए।

9. दिनांक 10.02.2010 के समसंख्यक पत्र के तहत जारी अनुदेश को हटा लिया गया है।

29.03.2017

(रोहित आनंद)
अवर सचिव, भारत सरकार